

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट
www.delhijalboard.nic.in

क्रमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1473/2015/ दिनांक: 11.12.2015

14008

श्रीमती बिमला देवी,
8/9-बी, पुराना राजेन्द्र नगर,
नई दिल्ली-110032

संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0/द0प0

आदेश

इस आदेश द्वारा श्रीमती बिमला देवी, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 16-09-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 11.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्रीमती बिमला देवी, उपस्थित नहीं हुई एवं श्री घनश्याम दास, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-II, राजेन्द्र नगर, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 18.06.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 16-09-2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है। सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता की शिकायत को दूर कर दिया गया है, अपीलकर्ता ने इस सम्बन्ध में लिखकर दे दिया है कि अब उन्हें कोई शिकायत नहीं है।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता है :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,
द्वितीय तल, बी-विंग,
अगस्त कान्ति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066

ह0/-

निधि श्रीवास्तव
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमती बिमला देवी, 8/9-बी, पुराना राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110032.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0/द0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (प0)-II, राजेन्द्र नगर।
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।



Jh. Saman
Prag-t

Nidhi
प्रथम अपीलीय अधिकारी